

निर्णय बईजलास करतार सिंह पूनियों, आर०ए०एस०, अति० जिला कलक्टर एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़

प्रकरण सख्या 14/19

दायरा- 12.04.19

राजस्थान सरकार जर्गे पुलिस अधीक्षक झालावाड़

सायल

बनाम

राकेश आ० गोपाललाल पटवा निवासी ममतागली, हाल बरड़ी का चबुतरा झालरापाटन

गैर सायल

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :- गैर सायल स्वंग

-: आदेश :-

दिनांक :-17.09.19

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि थानाधिकारी झालरापाटन द्वारा जर्गे पुलिस अधीक्षक झालावाड़ गैरसायल राकेश आ० गोपाल पटवा के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत निष्कासन हेतु उनके पत्र संख्या 6866 दिनांक 08.04.19 द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की, कि गैर सायल के विरुद्ध थाना झालरापाटन जिला झालावाड़ में निम्न मुकदमें दर्ज है :-

क्र०स०	इस्तगासा पेश करने की दिनांक	धारा	प्रकरणों की स्थिति
1	184/13	13 आरपीजीओ	100/- जुर्माना
2	92/18	13 आरपीजीओ	100/- जुर्माना
3	103/18	13 आरपीजीओ	100/- जुर्माना
4	130/18	13 आरपीजीओ	100/- जुर्माना
5	188/18	13 आरपीजीओ	पेण्डिंग कोर्ट
6	258/18	13 आरपीजीओ	पेण्डिंग कोर्ट

जिनमें में से 4 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जा चुका है । इसके बावजूद भी वह अन्य अवैध कार्य एवं लडाई झगडा, मारपीट आदि आपराधिक गतिविधियों मे लिप्त रहता है। गैर सायल की आम शोहरत यह है कि यह इतना कुख्यात एवं दुःसाहस, है कि आमजन इसकी अपराधो की रिपोर्ट करने या इसके विरुद्ध गवाही देने से डरते है इस कारण इसके द्वारा किये जा रहे अपराध रिकार्ड पर दर्ज नही हो रहे है। इसका स्वचछन्द रहना समाज के लिए परिसंकटमय है। अतः गैर सायल के विरुद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975- की धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

प्रकरण दर्ज कर गैर सायल को जर्गे नोटिस तलब किया गया। गैर सायल निर्धारित दिनांक को उपस्थित हुआ गेर सायल द्वारा अपनी मौखिक बहस में अनुरोध किया गया कि गैर सायल अब शांति पूर्वक जीवन यापन कर रहा है-अब भविष्य में कभी भी यह कार्य नही करूंगा। अतः इस्तगासा खारिज फरमाकर प्रकरण निरस्त फरमाया जावे।


मैने गैर सायल की मौखिक बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। इस्तगासे में प्रस्तुत दस्तावेजात व साक्ष्यों के आधार पर राज०गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत सन्तुष्ट होकर मै गैर सायल को गुण्डा घोषित करता हूँ और निम्न आदेश पारित करता हूँ।

Laxo
अति० कलक्टर एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

-: आदेश :-

राकेश आ० गोपाललाल पटवा निवासी ममतागली, हाल बरडी का चबुतरा झालरापाटन को दिनांक 18.09.19 से 1 माह के लिए जिला झालावाड़ की सीमाओ से निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस अवधि में वह पुलिस थाना रामगणजमण्डी जिला कोटा के थानाधिकारी को प्रति दिन थानाधिकारी द्वारा निर्दिष्ट समय पर उपस्थित होकर अपनी गतिविधियों की सूचना देता रहेगा। गैर सायल न तो कोई घातक हथियार अपने पास रखेगा और ना ही काम में लेगा, ना किसी प्रकार के मादक द्रव्य मदिरा, अफीम, गोंजा, चरस, भांग आदि का या विस्फोटक या ज्वलनशील वस्तु का कब्जा अपने पास रखेगा। किसी शैक्षणिक संस्था, धार्मिक संस्था, मेला हाट आदि के समीपस्थ दूरी के भीतर उपस्थित नहीं होगा।

यह आदेश आज दिनांक 17.09.19 को खुले न्यायालय में टंकित कराया जाकर, मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। निर्णय की प्रति शामिल पत्रावली रहे।



Lano
अति० जिला कलक्टर एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
जिला झालावाड़
झालावाड़ (राज.)